प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12 अगस्त 2025

संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2025 की प्रतिवेदन संख्या 16 संसद में प्रस्तुत

संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2025 की प्रतिवेदन संख्या 16 आज संसद में प्रस्तुत की गई ।

संघ के वित्त का अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2023-24 सतत विकास का वर्ष था। जीडीपी के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्य पर जीडीपी (वास्तविक जीडीपी) में 9.19 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और वर्तमान मूल्य (नाममात्र जीडीपी) में 12.02 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 13.82 *प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें गैर-कर राजस्व में 23.81 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि* हुई। वित्तीय वर्ष 2019-20 से सकल कर प्राप्तियां बढ़ रही हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों में निरंतर सकारात्मक वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष कर का हिस्सा बढ़कर 55.46 *प्रतिशत हो गया* और जीडीपी में प्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़कर 6.38 *प्रतिशत हो गया*। यह प्रगतिशील कर प्रणाली दर्शाता है।

प्रत्यक्ष करों में, आयकर से राजस्व में वर्ष दर वर्ष आधार पर 25 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और जीटीआर और *जीडीपी* में इसका योगदान क्रमशः 29.17 *प्रतिशत* और 3.36 *प्रतिशत हो गया। हालांकि,* वित्तीय वर्ष 2023-24 में निगम कर जीडीपी के प्रतिशत (3.07 *प्रतिशत* से 3.02 *प्रतिशत*) और जीटीआर में योगदान (27.04 *प्रतिशत से* 26.29 *प्रतिशत*) दोनों के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से जीएसटी संग्रह में वृद्धि के साथ ही जीडीपी के प्रतिशत के रूप में योगदान में भी वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में गैर-कर राजस्व में 23.81 *प्रतिशत* की पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप सकल राजस्व प्राप्ति में योगदान के मामले में वृद्धि हुई (16.59 *प्रतिशत* से 17.83 *प्रतिशत)*। गैर-कर राजस्व में यह वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में लाभांश और मुनाफे में 71 *प्रतिशत* की वृद्धि के कारण हुई*।*

हालांकि सरकारी व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹39,07,647 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹48,52,572 करोड़ हो गया, यह इसी अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 19.68 *प्रतिशत से* 16.11 *प्रतिशत तक* कम हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है (वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.73 *प्रतिशत से* वित्तीय वर्ष *2023-24 में 2.68 प्रतिशत*)*, जो एक सकारात्मक संकेत है। भारत* की संचित निधि *से सबसे* बड़ा आहरण *ऋण की* अदायगी हेतु था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय का 60.60 *प्रतिशत* था।

यह देखा गया है कि कुल राजस्व व्यय के हिस्से के रूप में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय का निश्चित घटक वित्तीय वर्ष 2022-23 में 38.93 *प्रतिशत से बढ़कर* वित्तीय वर्ष *2023-24 में 42.37 प्रतिशत हो गया* है । राजस्व व्यय की निश्चित प्रतिबद्धताओं पर वर्ष दर वर्ष वृद्धि में मुख्य रूप से ब्याज के भुगतान का योगदान रहा, जिसमें 15 *प्रतिशत की वृद्धि हुई*।

विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में 29 *प्रतिशत की वृद्धि हुई*, साथ ही सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मामूली वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में परिवहन क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में 269.29 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है।

लोक ऋण में वृद्धि के कारण संघ सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंतरिक ऋण में 12.43 *प्रतिशत की* वृद्धि हुई। राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की उच्च दर के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजकोषीय मापदंडों में सुधार हुआ। वर्ष दर वर्ष आधार पर राजस्व प्राप्ति में 13.82 *प्रतिशत की वृद्धि हुई* जबकि राजस्व व्यय में 1.86 *प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व और राजकोषीय घाटे दोनों* विगत *वर्ष की तुलना में कम थे, जो विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देते हैं।* वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में राजस्व घाटे में 28.45 *प्रतिशत की कमी आई*, जो राजस्व व्यय पर नियंत्रण और राजस्व प्राप्तियों में सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ

आरक्षित निधि भारत के लोक लेखों का हिस्सा है। इन निधियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखा जाता है और आमतौर पर उपकर या उगाही के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसे संग्रह करने पर भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और संसद की मंज़ूरी के साथ विशेष आरक्षित निधि में अंतरण कर दिया जाता है। अभिलेखों की नमूना जांच से 31 मार्च 2024 तक लोक लेखों में निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में ₹3,69,307 करोड़ के अल्प अंतरण का पता चला। साथ ही, ₹834.37 करोड़ के संचित निवल क्रेडिट बलेंस के साथ निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ और

जमाराशियों का अर्थ है कि वे अपनी उपयोगिता खो चुके हैं और उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

(पैरा 3.3.1 और 3.3.2)

प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क राज्य कैम्पा प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया जाना था और राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों के बीच 90:10 के अनुपात में उनसे संबंधित आरक्षित निधियों में जमा किया जाना था। हालांकि, राष्ट्रीय/राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में आगे वितरण के लिए धन का भारत के लोक लेखा में अंतरण कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कोष में वितरण के लिए ₹15,103 करोड़ लंबित थे। लोक लेखों में दर्शाई गई शेष राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखों की पुस्तकों में संबंधित आंकड़ों से कम थी, जिसके कारण लोक लेखों में ₹866.41 करोड़ की संभावित कमी आई।

(पैरा 3.1.2)

संघ सरकार के वित्त लेखों का विवरण 13 उचंत शीर्षों के अंतर्गत केवल निवल शेष राशि दर्शाता है, इस प्रकार निपटान के लिए लंबित वास्तविक शेष राशि को कम करके दिखाया गया है। उचंत लेखों (सिविल) में यह कम करके 68.01 *प्रतिशत* और रिजर्व बैंक उचंत केंद्रीय लेखा कार्यालय में 54.89 *प्रतिशत* है। इसी तरह, नकदी शेष की नेटिंग करने के परिणामस्वरूप आरबीआई के साथ समन्वय के लिए लंबित नकदी शेष को कम दिखाया गया, समन्वय के लिए कुल नकद शेष ₹3,793.74 करोड़ था। 'विभागीय चेक' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹441.02 करोड़ (डेबिट) से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹3,796.87 करोड़ (क्रेडिट) तक की वृद्धि देखी गई।

(पैरा 3.2.1 ग, 3.4.3 और 3.2.1 ख)

लेखांकन में ₹4,214.07 करोड़ की राशि के गलत वर्गीकरण के मामले थे। इनमें से ₹3,283.50 करोड़ प्राप्तियों से संबंधित थे और शेष गलत वर्गीकरण कुल मिलाकर ₹930.57 करोड़ व्यय से संबंधित थे और मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में और इसके विपरीत राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने से संबंधित थे (₹654.88 करोड़)। अभिलेखों की नमूना जांच से ₹178.81 करोड़ के गारंटी शुल्क की कम वसूली और यूजीएफए में ₹16,133 करोड़ (मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड) के इक्विटी शेयरों के गैर-लेखांकन का पता चला।

(पैरा 3.5, 3.4.2 और 3.4.1.1)

%1.44मुद्रास्फीति सूचकांक) जीएस (2023 के निर्वहन हेतु गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण को ₹ 372.64करोड़ कम दर्शाया गया। वित्तीय वर्ष 24-2023 के अंत में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और अन्य संस्थाओं से वसूली के लिए ₹9,41, 560 करोड़ के ऋण और अग्रिम बकाया थे, जिनमें से वसूली हेतु बकाया) मूलधन और ब्याज (₹86, 174करोड़ था। विभिन्न निधियों और जमाराशियों में प्रतिकूल शेष के 53 मामले थे, जिनमें से43 पाँच वर्षों से अधिक समय तक अनसुलझे रहे।

(पैरा 3.1.1, 3.2.3 और 3.2.2)

मार्च 2024 के अंत में, 'सेबी सामान्य निधि' के अंतर्गत सरकारी खाते से बाहर ₹5,573 करोड़ का अधिशेष शेष रखा गया। डाक जीवन बीमा निधि (पीएलआईएफ) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि (आरपीएलआईएफ) के दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश से प्राप्त ₹941.91 करोड़ (पीएलआईएफ- ₹502.05 करोड़ और आरपीएलआईएफ- ₹439.86 करोड़) की आय यूजीएफए में अतिरिक्त रूप से दर्ज की गई। दूरसंचार विभाग ने नियमित पेंशन भुगतान के ₹3,443.08 करोड़ को "वृद्धिशील पेंशन भुगतान" के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

(पैरा 3.3.4, 3.3.5 और 3.5.2.1)

बजटीय प्रबंधन

संघ सरकार के विनियोग लेखों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 102 अनुदान/विनियोग शामिल हैं। संसद ने ₹1,47,56,796.55 करोड़ के विनियोग को मंजूरी दी, जिसके प्रति सरकार ने ₹1,29,74,923.11 करोड़ खर्च किए, जिससे कुल ₹17,81,873.44 करोड़ की बचत हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संचित निधि से कुल प्रभारित प्रावधान ₹1,02,66,792.77 करोड़ था, जिसके प्रति व्यय ₹87,53,015.54 करोड़ था। कुल दत्तमत प्रावधान ₹44,90,003.78 करोड़ था और वास्तविक व्यय ₹42,21,907.57 करोड़ था, जिसमें ₹2,68,096.21 करोड़ की बचत हुई।

(पैरा 4.1.1 और 4.1.2)

'राज्यों को अंतरण (पूंजीगत प्रभारित)' के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹31,308.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। अनुदान से अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के तहत नियमित किया जाना आवश्यक है। लघु/उप शीर्ष स्तर पर, निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण नौ अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹25 करोड़ या उससे अधिक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 14 अनुदानों/विनियोगों में ₹5,000 करोड़ या उससे

अधिक की बचत भी देखी गई, जिसके प्रति छह अनुदानों/विनियोगों में वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी लगातार बचत हुई। इसके अलावा, 70 अनुदानों/विनियोगों के 95 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई।

(पैरा 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.1 एवं 4.2.2.2)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 16 अनुदानों के अंतर्गत 28 लघु/उप-शीर्षों के संबंध में अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक पाए गए क्योंकि अंतिम व्यय संबंधित लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधानों से कम थे। इसके अतिरिक्त, 14 अनुदानों/विनियोगों में 20 मामलों में, प्रत्येक में ₹10 करोड़ से अधिक का पुनर्विनियोग अनुचित था, क्योंकि जिन लघु/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से वृद्धि की गई थी, उनके अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान पर्याप्त थे और पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार, चार अनुदानों में 12 लघु/उप-शीर्षों से अनुचित तरीके से पुनर्विनियोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन लघु/उप-शीर्षों में परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 4.3.1 और 4.4.1)